

जेडीए के ज़ोन 12 में निवारु रोड पर भूमाफियाओं द्वारा
कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

भाग-1

श्री नारायण वाटिका-ए
सोसाईटी के फर्जी पट्टों पर बेचे जा रहे
इस अवैध कॉलोनी के सैंकड़ों भूखंड!!
दर्जनों खरीदारों के साथ हो रहा खुलेआम धोखा!!

तीन वर्ष पूर्व JDA कर चुका है इसी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त!!!
लेकिन पर्याप्त मॉनिटरिंग के अभाव में पुनः बसाई जा रही यह अवैध कॉलोनी!!

सबसे बड़ा सवाल?

क्या जेडीए करेगा इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही
और दर्ज करवाएगा भूमाफियाओं के विरुद्ध FIR?

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

3 महीने पहले



जेडीए के दावों की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया! जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ!

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों में कमी आई है और जयपुर के बिल्डर/डवलपर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

है। लेकिन भूमाफियाओं की

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST



मनमानी के सामने शायद यह

जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो

रही है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों में

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी

के नेतृत्व में सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर

बुलडोजर चलाये गए हैं, लेकिन इसके बावजूद

जेडीए के बाहरी इलाकों में इन अवैध कॉलोनियों

की बाढ़ सी आई हुई है।

गृह निर्माण सहकारियों समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्थायत शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता नहीं है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

बैंकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किये गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दराए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैंक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो ये राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किये जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

जेडीए के ज़ोन 12 में निवारु रोड पर 7
बीघा कृषि भूमि पर बसायी जा रही है
अवैध कॉलोनी

“श्री नारायण वाटिका-ए”

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो में कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए, उन पर कॉलोनियाँ बसाने का खेल खेला जा रहा है। इन ज़ोनो में एक ज़ोन 12 भी है, जहाँ ताबड़तोड़ अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है। जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में एक नाम और शुमार हो गया है, जिसका नाम श्री नारायण वाटिका-ए रखा गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 में निवारु रोड पर करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी “श्री नारायण वाटिका-ए” बसायी जा रही है।

**भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
सोसाइटी के फर्जी पट्टे से काटी जा रही है
यह अवैध कॉलोनी “राधा गोविंद विहार-2”**

सूत्रों के अनुसार इस स्कीम के अंतरगत 150 से अधिक प्लॉट काटे जाएंगे, जिन्हें एक बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के पट्टे बांटे जाएंगे। JDA की अधिकृत वेबसाइट पर इस सोसाइटी का कोई हवाला नहीं है और ना ही इस अवैध स्कीम “श्री नारायण वाटिका-ए” का। हैरत की बात यह है कि इस कॉलोनी को 1999 के पट्टे बता कर बेचा जा रहा है।

चूंकि निवारु रोड पर जमीन की रेट अत्यधिक है, इसके चलते इस अवैध कॉलोनी में भी बनी बनाई वीला की दर 25 लाख से शुरू होना बताई गयी है। इतना ही नहीं भूमाफियाओं द्वारा बैंक से साँठ-गाँठ करके इन भूखंडों पर लोन भी उपलब्ध करवाने का दावा किया जा रहा है। इस प्रकार भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम ना केवल जेडीए को राजस्व का चुना लगाया जा रहा है, बल्कि ग्राहकों के साथ भी ठगी की जा रही है। ग्राहकों को लुभाने के लिए भूमाफियाओं द्वारा बाकायदा सोशल मीडिया पर जम कर प्रचार भी किया जा रहा है।



9	12	18-12-2020	ग्राम-निवारु रोड पर करीब 07 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नारायण वाटिका के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनाई जा रही ग्रेवल सडके, बाउन्ड्रीवाल, पिल्लर व अन्य अवैध निर्माणों को को आज दिनांक 18.12.2020 को प्रवर्तन दस्ते द्वारा पूर्ण ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।	7	1
---	----	------------	---	---	---

पूर्व में भी ध्वस्त कर चुका है JDA इस अवैध कॉलोनी को।

जैसा कि बताया गया है कि JDA के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपनाए हुए है। इसी के चलते वर्ष 2020 में JDA द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए, इस कॉलोनी में बन रही ग्रेवल सडकों, बाउन्ड्री वाल, पिलर व अन्य अवैध निर्माणों को दिनांक 18/12/2020 को ध्वस्त कर दिया गया था, उस समय इस कॉलोनी को केवल नारायण वाटिका के नाम से ही बसाया जा रहा है, अब इस कॉलोनी का

नाम बदल कर श्री नारायण वाटिका-ए कर दिया गया है। अब इसे JDA के अधिकारियों से साँठ-गांठ कहे या फिर मॉनिटरिंग का अभाव, तीन साल में इस अवैध कॉलोनी को पुनः बसा जा चुका है, अब तक इस कॉलोनी में दर्जनों पक्के मकान बन गए हैं और कई प्लॉटों पर काम चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध कॉलोनी को अब श्री नारायण वाटिका विकास समिति का बैनर लगा कर JDA में नियमित करवाने और पट्टे लेने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह है कि JDA के संज्ञान में आने के बाद इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है अथवा नहीं।

PRN साउथ में 15 बीघा खातेदारी जमीन पर बैकडेट में पट्टे, ध्वस्त

जयपुर | पृथ्वीराज नगर में खातेदारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने पर जेडीए प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई की। इस जमीन पर भूखंडों के बैकडेट में पट्टे दिए जा रहे थे। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-पीआरएन (साउथ) में गोल्यावास स्थित श्रीराम नर्सरी के पीछे खसरा नंबर-371-375 व 242/583 रकबा करीब 15 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बाउन्ड्रीवाल व अन्य निर्माण कार्य किए

जा रहे थे। अवैध कॉलोनी के बैकडेट में पट्टे जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान में नियमन करवाने की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलने पर जोन-टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में लगे संसाधनों का नियमानुसार खर्चा-वसूली व कृषि भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के मामले में काश्तकार अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी।

अवैध कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य!!






अवेध कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य!



जय सहकार
रजिस्ट्रेशन नं. 3122/एल

जय सहकार



भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
जयपुर

आवंटन-पत्र

श्री/श्रीमति/कुमारी रवि चौधरी

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री बन्नी


निवासी जयपुर सज.

प्रिय सदस्य,

समिति की ओर से आपको सहर्ष समिति की गृह निर्माण योजना श्री नारायण वाटिका ए

फर्जी पट्टा, फर्जी रजिस्ट्री!!!

पट्टे पर अंकित फोटो और इस प्लॉट की रजिस्ट्री में लगी फोटो एक ही व्यक्ति की है, लेकिन आपको बता दें कि ऊपर वाले पट्टे को वर्ष 1999 में दिया गया बताया है, जबकि रजिस्ट्री एक माह पुरानी बताई गई है। वर्तमान में इस व्यक्ति की उम्र 33 वर्ष है, ऐसे में क्या यह संभव है कि, 24 साल पहले भी इस व्यक्ति कि, जो उस समय 09 वर्ष का था, के दाढ़ी-मूँछ आ गई हो।



जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति के कर्ता-धर्ता? अब तक जमीनो की धोखाधडी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ? क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
4. अब तक इस अवैध कॉलोनी मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
5. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
6. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधडी का जिम्मेदार कौन होगा?
7. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई? उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
8. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
9. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
10. क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां महोदय इस बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

Developer Name	Scheme Name	Sector	Dev Type	Zone Name	Scheme Status	Allotted	Membership	Layout	Transfer
BHAIRAV GNSS	BHAIRAV NAGAR		Cooperative	ZONE-12	REJECTED				
BHAIRAV GNSS	DEV NAGAR- C		Cooperative	ZONE-12	REJECTED				
BHAIRAV GNSS	HARIHAR NAGAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List	Plan	
BHAIRAV GNSS	JAI KARINI NAGAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List		Plan	Letters
BHAIRAV GNSS	JYOTI NAGAR		Cooperative	ZONE-12	UN-APPROVED		List	Plan	
BHAIRAV GNSS	KADAM VIHAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List	Plan	Letters
BHAIRAV GNSS	KAMLA NAGAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List	Plan	
BHAIRAV GNSS	KARNI VIHAR		Cooperative	ZONE-12	UN-APPROVED				
BHAIRAV GNSS	KRISHNA VIHAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List	Plan	Letters
BHAIRAV GNSS	LAXMI VIHAR		Cooperative	ZONE-12	UN-APPROVED		List	Plan	

Developer Name	Scheme Name	Sector	Dev Type	Zone Name	Scheme Status	Allotted	Membership	Layout	Transfer
BHAIRAV GNSS	MANSA NAGAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List		Plan	Letters
BHAIRAV GNSS	NEW COLONY		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List		Plan	Letters
BHAIRAV GNSS	SHANTI VIHAR COLONY		Cooperative	ZONE-12	UN-APPROVED				
BHAIRAV GNSS	SHRADDHA VIHAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List	Plan	
BHAIRAV GNSS	SHRI RAM NAGAR - A		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List	Plan	Letters
BHAIRAV GNSS	SRIDDHA VIHAR		Cooperative	ZONE-12	UN-APPROVED			Plan	

JDA की अधिकृत वेबसाईट पर भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का कोई हवाला नहीं है और ना ही इस अवैध स्कीम श्री नारायण वाटिका-ए का।